



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 3 मार्च 2015—फाल्गुन 12, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2015

क्र. एफ 22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-41-2011-आठ, दिनांक 02 जुलाई 2013 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 जुलाई 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में कॉलम (2) तथा (3) में धारा 177 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

(1)

(2)

(3)

177

बिना हेलमेट के वाहन चलाना

रुपये 250/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.